Raids by Directorate of Enforcement

636. PROF. RAM KAPSE:
SHRIMATI MALTI SHARMA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of raids on Industrial Houses, Private companies etc. conducted by the Directorate of Enforcement during the last three years ending 31st December, 1997;

(b) the number of cases filed in the Courts and offenders convicted;

(c) the amount recovered case-wise;

(d) whether it is a fact that a number of cases filed under FERA were dismissed by the Tribunals; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAM): (a) and (b) The number of raids conducted on the premises of connected with industrial houses, private companies etc., complaints filed in the courts by the Enforcement Directorate and number of offenders convicted by the courts during the last three years are given below:

		1995	1996	1997
1.	Number of raids conducted	156	257	254
2.	Number of complaints filed	202	101	90
3.	Number of offenders convicted	30	14	31

(c) The data on the desired lines are not being generated.

(d) and (e) During the last three years number of cases (appeals) dismissed by Foreign Exchange Regulation Appellate Board are as under:

1995	1996	1997
18	11	6

बिहार में त्रिमुहानी घाट में बैंक शाखा खोलना

637. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि त्रिमुहानी घाट, बहेड़ा, दरभंगा (बिहार) में बैंक शाखा खोलने हेतु एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार वहां कब तक शाखा खोलने का विचार रखती है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं; और

(घ) क्या त्रिमुहानी घाट, बहेड़ा, दरभंगा (बिहार) बैंक शाखा खोलने की सभी शर्तें पूरी करता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, जो कि दरभंगा जिले का अग्रणी बैंक है, को त्रिमुहानी घाट, बहेड़ा, दरभंगा, बिहार में बैंक शाखाएं खोलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) बैंक शाखाएं खोलने के बारे में निर्णय लेने के लिए सरकार सक्षम प्राधिकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बैंक नई शाखाएं खोलने के बारे में निर्णय तब लेते हैं, जब उनके विचार में शाखा की व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए पर्याप्त कारोबार हो या फिर यदि ग्रामीण इलाकों में कर्जदेने के सेवा क्षेत्र दृष्टिोण से योजना के बेहतर प्रशासन के लिए ऐसी शाखा की आवश्यकता हो। यह देखना सरकार का कार्यक्षेत्र नहीं है कि कोई विशेष स्थान सभी मानदंड पूरा करता है या नहीं। सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने प्रस्ताव की साध्यता सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।